न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
78/2022	FSS ACT	09.12.2022	28.11.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. शौर्य अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल, उम्र 19 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्सः– दीपक मावा भण्डार आरएसी रोड़, धौलपुर निवासी नाना साहब का बाड़ा, बजरिया, धौलपुर।
2. दीपक पुत्र श्री गोंविद प्रसाद मालिक मैसर्सः– दीपक मावा भण्डार आरएसी रोड़ धौलपुर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 31.08.2022 को सांय 05:00 बजे मैसर्सः– दीपक मावा भण्डार,आरएसी रोड़, धौलपुर पर पहुंचा मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम शौर्य अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल मैसर्सः– दीपक मावा भण्डार, आरएसी रोड़, धौलपुर निवासी नाना साहब का बाड़ा बजरिया धौलपुर बताया एवं खाद्य लाईसेंस मौके पर दिखाया जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान दुकान पर मौजूद 3 डलियों में लगभग 100 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस मावा में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त दुकान में से 01 किलो ग्राम मावा वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता शौर्य अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल को रू. 230/– (दो सौ तीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलो ग्राम मावा को चार खाली साफ एवं सूखी बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 2567 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम , नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2567 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर शौर्य अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/429 दिनांक 15.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/930/एक्ट/2022/930 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा नमूना सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति कर पाया गया मूल जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रकरण में दिनांक 31.08.2022 को श्री पदम सिंह परमार का खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद पर तैनात होना साबित नही। क्योकि पदम सिंह परमार का कहना है कि उसकी नियुक्ति F.S.O. पद पर नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के आधार पर हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O) नियुक्ति के दिनांक को 5 वर्ष की अवधि के अन्दर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक के अधीन विशेषकृत ट्रैनिंग करना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है कि श्री पदम सिंह परमार ने दिनांक 26.07.2011 से 25.07.2016 तक कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की हो इस कारण पदम सिंह परमार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही NUL AND VOID हो जाती है। इस कारण भी प्रार्थी दोषमुक्त का हकदार है।

प्रार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष ने सब स्टैण्डर्ड का आरोप बनना पाया है। यह सब-स्टैण्डर्ड मिल्क फैट कम आने पर पाया है। अभियोजन पक्ष ने जब खोआ का नमूना लिया तब उस नमूने को किस बर्तन, जार, व किस माध्यम से एक रूप (हमवार) किया फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नही है।

खोआ (मावा) एक सेमी सॉलिड तरलता लिये हुए पदार्थ है उस पदार्थ को अगर तिरछी अवस्था में रख दिया जावे तो नीचे का पदार्थ तरलता लिये हुये है। भरपूर मात्रा में होगा तथा ऊपरी भाग का पदार्थ थोडा सा सुराकता लिये हुए होगा। प्रस्तुत प्रकरण की फर्द रिपोर्ट को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने खोआ (मावा) का सेम्पल लेते समय खोआ को ऊपर नीचे कर एक रूप नही किया इस कारण भी प्रस्तुत प्रकरण में मिल्क फेट कम आयी इस कारण भी प्रार्थी गण के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

यह कि जहॉ पर किसी रिपोर्ट में यह अंकित न हो कि लिया गया नमूना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है वेसक उक्त नमूना निर्धारित मानको की पुष्टि नही करता हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोष मुक्त कर देना चाहिए। प्रकरण में मिल्क फेट में कमी बतायी है किन्तु रिपोर्ट में यह कही अंकित नही है कि नमूना मानव स्वास्थ्य के लिये

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हानिकारक है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को वरी कर देना चाहिये जैसा की निम्न नजीर में प्रतिपादित किया गया है 2005 R.L.Q (I)Page 470

यह कि जिस फर्म से नमूना लिया उस फर्म के मालिको,वेण्डर, या अन्य कोई भी अभियुक्त जो इस प्रकरण में हो उनको धारा 46 (4) FSS Act. की सूचना देना एक Mandatory Provision है तथा इसकी पालना न करना अर्थात अपालना करना अभियोजन पक्ष के लिये घातक है। प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स दीपक मावा भण्डार के मालिक दीपक पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद को धारा 46 (4) FSS Act. की कोई सूचना अभियोजन पक्ष ने प्रेषित न कर धारा 46 (4) FSS Act. की पालना नही की है। अर्थात अपालना की है। इस Mandatory Provision की पालना न करने के कारण दीपक पुत्र गोविन्द प्रसाद का नमूने का रैफरल लेवोरेट्री से पुनः परीक्षण कराने का अधिकारी मारा गया इस कारण भी अभियुक्तगण दोष मुक्ति के हकदार है। यह कि धारा 43 FSS Act.2006 Rule. 2011 के तहत **Public health Laboratory Bharatpur (RAJ)** की **Lab "ACCRETAT" Lab** नहीं है इस कारण प्रस्तुत प्रकरण की जांच रिपोर्ट पर विश्वास नही किया जा सकता है। इस कारण भी अभियुक्तगण दोष मुक्ति के हकदार है।

अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार कर धारा 26(2)(ii) FSS की कार्यवाही ड्राप किये जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./930/Act/2022/930 DATE 08-09-2022** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

"**Opinion**- The sample of **'Mawa'** bearing code & serial No. **D-2567** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Sub-Standard** as it does not conform to the Prescribed standards of food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड मावा बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपरांध है।

अतः अप्रार्थी 1. शौर्य अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल, उम्र 19 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्सः— दीपक मावा भण्डार आरएसी रोड़, धौलपुर निवासी नाना साहब का बाड़ा, बजरिया, धौलपुर। 2. दीपक पुत्र श्री गोंविद प्रसाद मालिक मैसर्सः— दीपक मावा भण्डार आरएसी रोड़ धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 11000/—रुपये (ग्यारह हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि [illegible])
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner